न्यायालय - मोतिश कुमार सिंह, सत्र न्यायाधीश, सिवान।

फौजदारी पुनरीक्षण वाद संख्या - **34/2025**

कामाख्या दूबे
बनाम
बिहार सरकार

29-04-2026

अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। पुनरीक्षणकर्ता पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया है।

<u>आदेश</u>

प्रश्नगत फौजदारी पुनरीक्षण वाद पुनरीक्षणकर्ता कामाख्या दूबे की ओर से प्रस्तुत कर न्यायालय श्री कृष्ण कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिवान द्वारा परिवाद वाद संख्या 909/2023 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2023 को अपास्त करने का अनुरोध किया गया है। आगे इनका कथन है कि इनके विरूद्ध धारा 138 एन0आई0 एक्ट के तहत एक परिवाद दाखिल हुआ। पुनरीक्षणकर्ता एवं विपक्षी आपस में दोस्त हैं व सीमेंट के दुकान के सहभागी हैं। पुनरीक्षणकर्ता, विपक्षी को कथित राशि वापस करने को तैयार है। पुनरीक्षणकर्ता को कोई नोटिस अथवा सम्मन व जमानतीय अधिपत्र तथा अजमानतीय अधिपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इनके विरूद्ध द0प्र0स0 की धारा 83 की आदेशिका विचारण न्यायालय द्वारा जारी कर दिया गया है जो पोषणीय नहीं है। अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

इन पुनरीक्षण वाद के साथ विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख (परिवाद वाद 409/2023) भी उपलब्ध है। दोनों अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रश्नगत पुनरीक्षण वाद के अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि पुनरीक्षणकर्ता ने यह वाद लगभग 01 वर्ष 24 दिन के विलंब के पश्चात् दाखिल किया गया है। अपने विलंब माफी के आवेदन में पुनरीक्षणकर्ता पक्ष ने वाद को विलंब से दाखिल किए जाने का एक मात्र आधार संबंधित सच्ची प्रतिलिपि को विलंब से मिलना बताया है इसके अलावे कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बतलाया है। पुनरीक्षण वाद के अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि यह वाद दिनांक 06.02.2025 को दाखिल किया गया है और पुनरीक्षणकर्ता पक्ष वाद ग्रहण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लगभग 01 वर्ष 01 माह तक उपस्थित नहीं हुए तब इन्हें दिनांक 23.03.2026 को इस हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया तब जाकर दिनांक 01.04.2026 को पुनरीक्षणकर्ता पक्ष की ओर से एक डॉक्टरी पुर्जा की छायाप्रति दाखिल किया गया है। संबंधित विचारण न्यायालय का परिवाद वाद संख्या 909/2023 के मूल अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त कामाख्या दूबे (यहॉ पुनरीक्षणकर्ता) के विरूद्ध निर्गत सम्मन का तामिला दिनांक 20.09.2023 उपलब्ध है जो विधिवत तामिल है एवं इसे

न्यायालय - मोतिश कुमार सिंह, सत्र न्यायाधीश, सिवान।

फौजदारी पुनरीक्षण वाद संख्या - **34/2025**

कामाख्या दूबे
बनाम
बिहार सरकार

29-04-2026

लगातार

कामाख्या दूबे ने प्राप्त कर इस पर अपना हस्ताक्षर बनाया है। इससे स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता को विचारण न्यायालय के यहां लंबित वाद की पूरी जानकारी थी लेकिन इन्होंने जान–बूझ कर विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करायी।

उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए **प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद को गुणरहित पाकर इसे ग्रहण के स्तर पर खारिज किया जाता है।** पुनरीक्षणकर्ता पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का मौखिक कथन है कि उभय पक्ष में सुलह – संधि हो गया है और पुनरीक्षणकर्ता वाद के विपक्षी को कथित राशि वापस करना चाहता है। यदि इस मंशा व सुलह संधि के पुख्ता प्रमाण व कागजात के साथ पुनरीक्षणकर्ता विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करते हुए जमानत आवेदन प्रस्तुत करते है तो विचारण न्यायालय विधिसंगत आदेश पारित करेंगे।

कार्यालय आदेश की एक प्रति एवं विचारण न्यायालय का अभिलेख संबंधित न्यायालय में भेजे तथा इस पुनरीक्षण वाद के अभिलेख को अभिलेखागार, सिवान में जमा करें।

लेखापित
ह०/-
सत्र न्यायाधीश, सिवान।
29-04-2026

Date of Judgement/order	29-05-2026
Date of Reserving Judgement/ Order	29-05-2026
Date of Uploading	26-05-2026
Uploaded by	Ajit kumar